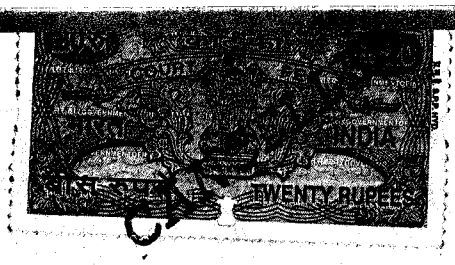

R 508-I/15

B.O.R

19 FEB 2015

176
27-02-15

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर म.प्र.

श्रीमति अन्दू बाई उर्फ केसरानी उर्फ केशररानी आदिवासी
पुत्री स्व० श्री गजू आदिवासी- पति गुलाब आदिवासी,
निवासी ग्राम सानौधा तह० व जिला सागर म.प्र. ..पुनरीक्षणकर्ता

॥ विरूद्ध ॥

म.प्र. शासन ... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय कलेक्टर, सागर जिन्हे आगे विचारण न्यायालय से सम्बोधित कियाजायेगा, द्वारा रा.प्र.क्र. 3831/21 वर्ष 2014-15 ,श्रीमति अन्दूबाई विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश दि० 19.01.2015 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करती है :-

1- यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं तर्क संगत नही है ।

2- यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है तथा तर्कसंगत नही है लिहाजा खारिज किए जाने योग्यहै ।

3- यहकि, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित तथ्यों एवं परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण नही किया है और प्रकरण मे पंगु आदेश पारित कर एक वैधानिक त्रुटि की है ।

4- यहकि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता की ससुराल ग्राम सानौधा में है तथा उसकामायका ग्राम रैंवझा में है ,पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी है उसने अपने मायके ग्राम रैंवझा प.ह.नं. 112 रा.नि.मंडल

Through

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

श्रीमती अन्दूबाई / शासन

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –एक / 15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–03–2015	आवेदक अधिवक्ता श्री एन0के0पाण्डे, अधिवक्ता उपस्थित । उन्होंने उपस्थित होकर प्रकरण त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने के कारण प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहे जाने का निवेदन किया । निवेदन स्वीकार । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । प्रशासकीय सदस्य	